रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937
No.789] NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 16, 2015/AGRAHAYANA 25, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 976(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2002 को जहां तक उनका संबंध दफ्तरी, फराश, चौकीदार और सफाईवाला के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय में, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरों में बहुकार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, बहुकार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2015 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना –** ये नियम इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
1	2	3	4	5
बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	38* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू.) + ग्रेड वेतन 1800 रू.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7
18 - 25 (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** – आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा रूप से नियत की जाएगी; (जहां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती नहीं की जाती है आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख आवेदन की अंतिम तारीख मानी जाएगी)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य या आईटीआई उत्तीर्ण *पद की विशेष अपेक्षा के अनुसार यदि कोई हो अंगीकार किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी। या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1 उप स्वापक आयुक्त - अध्यक्ष 2 सहायक स्वापक आयुक्त – सदस्य 3 आयकर आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किए गए सहायक या उप आयकर उपायुक्त – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/12/2013- प्रशासन-III बी]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2015

G.S.R. 976(E).–In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Narcotics Department (Group ''C'' & ''D'' Posts) Recruitment Rules, 2002, in so far they relate to the posts of Daftry, Frash, Chowkidar and Safaiwala, except as respects things done or omitted to be done before the supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff Group 'C' posts in the Central Bureau of Narcotics under the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue in the Ministry of Finance, namely :—

1. **Short title and commencement**.—(i) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics Malti Tasking Staff (Group 'C' posts,) Recruitment Rules, 2015.

(ii) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application:—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of Post, Classification, pay band and grade pay or pay scale:—**The number of the said posts its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:—**The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said schedule.

5. **Disqualification.**—No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Bachward Classea, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/pay scale	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Multi Tasking Staff	38* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group "C" Non-Gazetted / Ministerial	PB-1 Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	18-25 (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the Instructions of orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** the crucial date for determining the age limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through SSC crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application.)	Matriculation or equivalent from a recognized Board. Or ITI pass* *May be adopted as per special requirements of the post, if any

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
8	9	10	11
Not applicable	Two Years	100% Direct Recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be Consulted in making recruitment
12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): (i) Deputy Narcotics Commissioner –**Chairman** (ii) Assistant Narcotics Commissioner –**Member** (iii) Assistant/Deputy Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax – **Member**	Not applicable.

[F. No. A-12018/12/2013-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.